

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ १(०२)ग्रावि/नरेगा/माद/2015/82614/पार्ट-गा

जयपुर, दिनांक

7 SEP 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी नरेगा  
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत चारदीवारी निर्माण के संबन्ध में।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 14.01.2016

महोदय,

राज्य स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा के दौरान यह जानकारी में आया है कि विभिन्न जिलों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत केवल पक्की चारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों से पक्की चारदीवारी के निर्माण के संबन्ध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया है। इस संबन्ध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत केवल चारदीवारी का निर्माण कार्य अनुमत नहीं है। संदर्भित पत्र द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि श्मशान/कब्रिस्तान, खेल मैदान विकास में भी चारदीवारी निर्माण के स्थान पर closure/ सुरक्षा हेतु डिच कम बण्ड के कार्य कराये जा सकते हैं फिर भी विभिन्न जिलों में पक्की चारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, यहाँ तक की कुछ स्थानों पर विद्यालयों की चारदीवारी निर्माण का कार्य भी योजनान्तर्गत कराया जा रहा है, जो कि राज्य सरकार के निर्देशों के विरुद्ध है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत केवल पक्की चारदीवारी निर्माण का कार्य किसी भी हालत में नहीं कराया जावे।
2. खेल मैदान के विकास कार्य यथा जमीन समतलीकरण, पौधारोपण, खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने आदि के साथ, कब्रिस्तान/ श्मशान में विकास कार्य अर्थात् जमीन समतलीकरण, शेड निर्माण, पौधारोपण आदि के साथ डिच कम बण्ड, थोर फैन्सिंग, जंगली झाड़ियों से बाड़ लगाना, live fencing, कार्य स्थल पर पूर्व के पत्थर/अन्य निर्माण सामग्री उपलब्ध होने की स्थिति में मड़ मोर्टार में अथवा सूखी चिनाई में निर्माण के द्वारा चारदीवारी निर्माण कार्य कराये जा सकते हैं। यदि पक्की चारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है तो प्रोजेक्ट मोड पर ही कराया जावे एवं इस स्थिति में चारदीवारी कार्य में केवल श्रम मद का व्यय महात्मा गांधी नरेगा योजना से एवं समस्त सामग्री मद का व्यय अन्य योजनाओं से कन्वर्जेन्स कर किया जायेगा।
3. स्वीकृत किये जा चुके एवं प्रारम्भ नहीं हुए पक्की चारदीवारी के निर्माण कार्यों की स्वीकृति तुरन्त निरस्त की जावे, परन्तु जो कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं उन कार्यों को कन्वर्जेन्स के माध्यम से ही बिन्दु संख्या 2 के अनुरूप पूर्ण किये जावे।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

6/9/16

(राजीव सिंह ठाकुर)

आमन सचिव ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
3. अधिशासी अभियन्ता, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
4. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

परिनिदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस